



भारत सरकार
Government of India
खान मंत्रालय
Ministry of Mines
भारतीय खान ब्यूरो
Indian Bureau of Mines

माखुपुरा औद्योगिक क्षेत्र
Makhapura Industrial Area
अजमेर-305 002 (राजस्थान)
Ajmer- 305 002 (Rajasthan)

Mine Code: 38RAJ03007

संख्या : RAJ/BNSW/LST-6/Vol.-II

दिनांक : 05.09.2022

प्रेषित : एजेंट, पार्तीपुरा चूनापत्थर खान,
मेसर्स द इन्डिया सीमेंट लिमिटेड (पूर्व नाम त्रिनेत्रा सीमेंट लिमिटेड)
बांसवाडा वर्क्स, पोस्ट-वजवाना, जिला-बांसवाडा
327025 (राजस्थान)

Email-bans_mines@indiacements.co.in, joshi.vc@indiacements.co.in

विषय : Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your **Partipura Limestone Mine** (M.L. No. 1/93, Lease area 65.82 Hect.) in Banswara District of Rajasthan State.

महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 26.07.2022 by the undersigned in presence of Shri Vinod Chandra Joshi, Mines Agent:

Rule No.	Nature of violation observed in detail
Rule 11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Review of Mining Plan (Approved on 23.11.2020): - (i) No proper care and maintainance of saplings planted in the year 2021-22 was observed, which resulted decrease in survival rate of trees.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत :

- (क) आपकी खदान की सारी सक्रियाएं बंद की जा सकती है।
- (ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
- (ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय
राज (11/31)
05/09/2022
(डी. आर. मुर्जर)
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ईमेल द्वारा) ।
- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर, राजस्थान।
- 3 खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, बांसवाड़ा।
- 4 रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो